फर्द अहकाम

लादूराम बनाम मन्नी देवी वगै०

न्यायालय

केस संख्या 74/22 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/4/23	व० वादी उप०/ पत्रावली बइन्तजार विभाजन प्रस्ताव आगामी दिनांक 17/4/23 को पेश हो/	
	17/4/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/5/23 को पेश हो।	
	04/5/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/5/23 को पेश हो।	
	31/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली में दिनांक 23.5.23 को तहसीलदार, चौमूं से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने वाद पत्र के मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.05.23 के अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.5.23 के अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)	

मु0सं0–74 / 2022
उनवान–लक्ष्मणराम बनाम मन्नी देवी वगै0
निर्णय दिनांक:–31.05.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

उनवान

लक्ष्मणराम पुत्र श्री मूलचन्द रैगर, उम्र .... वर्ष, जाति रैगर, निवासी 165, ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल निवासीग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री लालचन्द धौबी, निवासी शिव कॉलोनी, विद्याधर नगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबततकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–74 / 2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री पूजा मीणा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नं0 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.00 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.05.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

1. लक्ष्मणराम पिता मूलचन्द, हिस्सा सम्पूर्ण, जाति रैगर, निवासी ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नम्बर 138/2 रकबा 0.53 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–74 / 2022
उनवान–लक्ष्मणराम बनाम मन्नी देवी वगै0
निर्णय दिनांक:–31.05.2023

2. मन्नी देवी पत्नी लालचन्द, हिस्सा सम्पूर्ण, जाति धोबी, सा0 शिवकॉलोनी, विद्याधर नगर, जयपुर राहिन सम्पूर्ण हिस्सा यूको बैंक, शाखा ढोढ़सर खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 138 / 1 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.05.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत........................

ओहदा......................... सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

मुकदमा नं0–74 / 2022

उनवान

लक्ष्मणराम पुत्र श्री मूलचन्द रैगर, उम्र .... वर्ष, जाति रैगर, निवासी 165, ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल निवासीग्राम ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री लालचन्द धौबी, निवासी शिव कॉलोनी, विद्याधर नगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबततकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:–31.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी को को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 19.05.2022 के अनुसार वाद पत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली, कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.05.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नं0 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.00 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—74 / 2022
उनवान—लक्ष्मणराम बनाम मन्नी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः—31.05.2023

1. लक्ष्मणराम पिता मूलचन्द, हिस्सा सम्पूर्ण, जाति रैगर, निवासी ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नम्बर 138 / 2 रकबा 0.53 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. मन्नी देवी पत्नी लालचन्द, हिस्सा सम्पूर्ण, जाति धोबी, सा0 शिवकॉलोनी, विद्याधर नगर, जयपुर राहिन सम्पूर्ण हिस्सा यूको बैंक, शाखा ढ़ोढ़सर खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 138 / 1 रकबा 0.47 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालयमें सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमू

मु0सं0—74 / 2022
उनवान—लक्ष्मणराम बनाम मन्नी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः—12.12.2022

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

लक्ष्मणराम पुत्र श्री मूलचन्द रैगर, उम्र .... वर्ष, जाति रैगर, निवासी 165, ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल निवासी ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री लालचन्द धौबी, निवासी शिव कॉलोनी, विद्याधर नगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—74 / 2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नं0 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.00 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूँ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर बंटवारे की दिनांक बाबत् पहले अपने स्तर पर पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा फेहरिस्त व नक्शा ट्रेस दो पड़त

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

में तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 12.12.2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(सहायक कलक्टर चौमूं जिला–जयपुर)

दस्तखत........ सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

मु0सं0–74/2022
उनवान–लक्ष्मणराम बनाम मन्नी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–12.12.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–74/2022

उनवान

लक्ष्मणराम पुत्र श्री मूलचन्द रैगर, उम्र .... वर्ष, जाति रैगर, निवासी 165, ग्राम महरोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल निवासी ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री लालचन्द धौबी, निवासी शिव कॉलोनी, विद्याधर नगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 12.12.2022

वादी ने उक्त वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी हाल वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जोकि काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नं0 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.00 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो इस वाद में विवादित भूमि है। उक्त विवादित आराजियात में वादी का हिस्सा 3/4 निहित है। उक्त विवादित भूमि का आज दिनांक तक विधिवत रुप से तकासमा नहीं हुआ है, भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है जिसमें वादी का हिस्सा 3/4 एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादीया सं0 1 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है व लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। वादी व प्रतिवादीया सं0 1 ने आपसी मनबंट बंटवारा अर्से दराज पूर्व ही कर रखा था तथा मुताबिक मनबंट बंटवारे अनुसार वादी काबिज

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

काश्त चला आ रहा है तथा काश्त कर हर प्रकार से उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादी ने प्रतिवादीया सं0 1 से कई मर्तबा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीया सं0 1 हमेशा ही वादी को यह आश्वासन देती रही कि आप अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो ही, हम अतिशीघ्र आपसी सहमति से तकासमा करवा लेंगे, जिस पर वादी ने विश्वास कर लिया। पूर्व में प्रतिवादीया सं0 1 ने वादी के कब्जेकाश्त में कोई व्यवधान कारित नहीं किया तथा प्रतिवादीया सं0 1 के मन में कोई बेईमानी नहीं रही किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारु कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीया सं0 1 के मन में बेईमानी आने लगी है तथा वह वादी को उसके कब्जेकाश्त में व मनबंट में आयी भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करने लगी है तथा दिनांक 19.09.2022 को प्रतिवादीया सं0 1 अपने साथ कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आयी तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त का विधिवत रुप से वादी के कब्जेकाश्त को प्राथमिकता देते हुए तकामसा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए वादी को यह वादपत्र पेश करना लाजमी आया।

वादी द्वारा उक्त वादपत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीया सं0 1 बाबत तकासमा का डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त का वादी के मनबंट में प्राप्त कब्जेकाश्त को प्राथमिकता देते हुए तकासमा किया जाकर वादी के भूमि विवादग्रस्त में निहित 3/4 भाग का पृथक से लगान निर्धारित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीया सं0 1 भूमि विवादग्रस्त में वादी के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, रुकावट, व्यवधान, मजाहमत या मदाहखलात पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डालें, ना ही रोड़ आदि डालें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटें, छांगें, ना ही वादी को उसके कब्जेकाश्त से जबरिया लट्ठ के बल पर बेदखल करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान व्यक्तियों का प्रवेश करवायें, ना ही कब्जाकाश्त करवायें तथा प्रतिवादी सं0 2 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन या परिवारजन से ही करवायें।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। प्रतिवादीया सं0 1 के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी

सहायक कलक्टर
सांभर (जयपुर)

द्वारा विवादित आराजियात् का रहवास / मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब्जे काश्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जो वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। पत्रावली में वर्णित विवादित आराजियात् का विधिवत तकासमा नहीं किया हुआ है। न्यायालय अभिमत में वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, पटवार हल्का ढ़ोढ़सर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 241 के हाल खसरा नं0 137 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.00 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूं को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर बंटवारे की दिनांक बाबत् पहले अपने स्तर पर पक्षकारान को सूचित कर बंटवारा फेहरिस्त व नक्शा ट्रेस दो पड़त में तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)